





फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

चन्द्रकला बनाम फूलीदेवी वगै०

संख्या : दावा 66 / 2024

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	30.07.2024	<p>बाद कार्यालय रिपोर्ट पत्रावली प्रस्तुत। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वाद नियमानुसार दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सूचना जरिये साधारण/रजि. एडी. जारी किये जाए। पत्रावली बाद तलवी प्रतिवादीगण दिनांक 20.08.2024 को पेश हो।</p> <p align="center">  सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर </p>	
20/8/24		<p>पत्रावली प्रस्तुत। वादीगण - (वादी आ.ता.) पेशी पर रिजि. एडी की शर्त व डेक रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली दिनांक 20/8/24 को पेश है।</p> <p align="center">  सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर </p>	
4/9/24		<p>पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वती ने अज्ञात ही नोटिस पेश किये निम्न वकील अज्ञात ही जारी करवाकर आसा-पेशी पर रिजि. एडी की शर्त व डेक रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली दिनांक 20/9/24 को पेश है।</p> <p align="center">  सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर </p>	<p>प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को रिजि. एडी नोटिस जारी 8/2/24</p>
20/9/24		<p>पत्रावली प्रस्तुत। वादीया / प्रार्थीया ने वाद विज्ञा किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया। वादीया मय अधिवक्ता श्री बनवारी शर्मा उपस्थित। वादीया द्वारा वादपत्र अग्रपक्ष के ग्रहण समझाई/राजीनामा हो जाने के कारण विज्ञा किया गया। वादीया की विधिवत् पहचान अधिवक्ता द्वारा की गई है। अतः वाद वादीया विज्ञा किये जाने के कारण निस्तारित किया जाता है। प्रकरण की पत्रावली फेसल-शुभान होकर हाइल दफ्तार हो।</p> <p align="center">  सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर </p>	<p>चन्द्रकला शर्मा अधिवक्ता 20/9/24 बनवारी शर्मा</p>

